

पत्रांक-श्रम क० सं०-31/2015-79.

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर(जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का स्वीकृत्यादेश संलग्न)के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिकों के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्यता की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अशोक ठाकुर उर्फ अशोक ठाकुर	श्री इन्द्रदेव ठाकुर(पिता)	375/26.02.18 760/18.4.18	ग्राम-रेपुर रामपुर बल्ली, पो०-जैतपुर, पं०-रामपुर बल्ली, थाना-जैतपुर ओपी, प्र०-सरैया, मुजफ्फरपुर	355067065 68	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0004888	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु

कुल :- ₹ 100000/-

(एक लाख रूपए मात्र)


2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-31/2015 के पृष्ठ-27/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


  
(सुधीर कुमार)

कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-31/2015-79

पटना, दिनांक :- 19-03-2020

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग व सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 100000/- (एक लाख रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेख संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकार मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(सुधीर कुमार)

कार्यकारी निदेशक।